न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–274/2026
उत्पन्न कुमारखंड थाना काण्ड सं0–247/2025

1. मुरली यादव **उम्र लगभग 34 वर्ष** **पिता–बिजेन्द्र यादव**
साकिन–लक्ष्मीपुर चंडीस्थान, **थाना–कुमारखंड** **जिला–मधेपुरा**
काराधीन /अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार **–** **विपक्षी**

जमानत आदेश

22–05–2026

दिनांक–06.01.2026 से काराधीन अभियुक्त मुरली यादव की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन जो कुमारखंड थाना काण्ड संख्या–247/2025 के अन्तर्गत धारा–115(2), 126(2), 103(1), 352 3(5) बी0 एन0 एस0 से संबंधित है, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कृतनारायण यादव द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा भूमि विवाद के कारण झूठे आरोप मे फंसाया गया है। आवेदक का मामला पूर्ण रूप से मनगढंत व बनावटी है एवं साजिश के तहत भूमि विवाद के कारण झूठे केस मे फंसाया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है। आवेदक दिनांक 06.01.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा मे है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अरबिन्द यादव उर्फ बेचन यादव की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से सोलिंग पर गिरने एवं ईंट से चोट की वजह से हुआ। सूचक और प्रार्थी चाचा भतीजा है तथा एक ही आंगन और दरवाजा है। प्रार्थी अभियुक्त ने कोई प्रहार नही किया है बल्कि मृतक के शरीर पर केवल एक ही जख्म है जबकि प्राथमिकी मे कहा गया है कि अंधाधुंध मारपीट किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गया । मामले के सह–अभियुक्तों को जमानत प्रदान किया गया है। प्राथीगण चल एवं अचल सम्पति वाले है तथा इनके फरार होने की कोई संभावना नही है। प्रार्थीगण न्यायालय के सभी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

Satish Kumar
22.05.26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

अभियोजन पक्ष का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 23.10.25 को दिन मे करीब 07:10 बजे सूचक एवं सपरिवार अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, इसी बीच जमीन विवाद के कारण जान मारने के नियत से मुरली यादव, सुनील यादव, अनिल यादव, विजेन्द्र यादव, पियांशु कुमार, गोलू कुमार एकजूट होकर हरवे हथियार से लैंस होकर सूचक के दरवाजे पर आकर गाली–गलौज करते हुए सूचक एवं उनके इकलौते बेटे अरविन्द कुमार यादव उर्फ बेचन यादव को उक्त सभी अभियुक्तो ने अंधाधुंध मारने लगे, मारपीट के क्रम मे नामित अभियुक्तों की तरफ से केन्दुला देवी, बुलबुल देवी, कविता देवी, मुरली यादव की पत्नी अपने घर से लाठी, भाला, फरसा लेकर आयी और मारपीट करने मे सहयोग करने लगी।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–274 / 2026
उत्पन्न कुमारखंड थाना काण्ड सं0–247 / 2025
–2–

लगातार
22–05–26

– केन्दुला देवी द्वारा बार–बार कहा जा रहा था कि दोनो बाप–बेटा को जान से मार दो केन्दुला देवी के कहने पर सभी नामित अभियुक्तों ने सूचक के पुत्र अरबिंद को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और मुरली यादव ने ईंट से अरबिन्द कुमार यादव के गर्दन पर लगातार वार कर जान से मार दिया। हो–हल्ला होने पर आस–पड़ोस के लोग आये जिनके द्वारा बीच–बचाव कर जख्मी को सामुदायिक स्वा0 केन्द्र कुमारखंड ले जाया गया जहॉ डॉक्टर द्वारा सूचक के पुत्र अरविन्द कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–115(2), 126(2), 103(1), 352, 3(5) बी0 एन0 एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदकों के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक अरबिन्द कुमार के साथ मारपीट करने, जमीन पर पटक देने गाली गलौज करने व सह–अभियुक्त मुरली यादव के द्वारा गर्दन पर लगातार ईंट से वार कर जान से मार देने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा–09, 10, 11 एवं 23 में वादी तथा साक्षियों ने यद्यपि घटना का समर्थन किया है, परंतु कांड दैनिकी के साथ संलग्न मृत्तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि मृत्तक के गर्दन पर एक भी जख्म नहीं पाया गया है जबकि सूचक का अभियोग है कि गर्दन पर लगातार ईंट से मार–मारकर हत्या की गई है। एकमात्र जख्म मृत्तक के बाये कान के पास पाया गया है। इसके अलावे शरीर के किसी भी भाग पर जख्म नहीं पाया गया है। आवेदक दिनांक 06.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000 / –रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि दो जमानतदारो मे से एक उनके करीबी रिश्तेदार होंगे तथा आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे, अन्यथा आवेदक का जमानत रद्द कर दिया जायेगा और आवेदक यह अंडरटेकिंग देंगे कि भविष्य मे कोई अपराध कारित नहीं करेंगे और न ही गवहों को धमकायेंगे।

लेखापित
Satish Kumar
22.05.26
(संतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।